भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2337

(दिनांक 07.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

प्रतिबंधित शराब तथा तंबाकू उत्पादों के लिए विज्ञापन

2337. श्री हारिस बीरान:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रतिबंधित शराब तथा तंबाकू उत्पादों के लिए परोक्ष विज्ञापन, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कार्यक्रमों में स्थान पाने के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम तथा इसके 2026 के संशोधन में ओटीटी प्रकाशकों द्वारा ऐसे अंतःस्थापित परोक्ष ब्रांडों के पूर्व-प्रमाणन अथवा लेबलिंग को अनिवार्य बनाया गया है; और

(ग) वर्ष 2024 से अब तक अपनी मौलिक विषय-वस्तु में असत्यापित शराब अथवा पान मसाला ब्रांडों को अंतःस्थापित करने हेतु ओटीटी मंचों पर लगाए गए वित्तीय दंड सहित सटीक प्रवर्तन कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान करता है।

इस आचार संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा की गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो और वे समुचित सावधानी एवं विवेक का पालन करें तथा नियमों की अनुसूची में यथा वर्णित निम्नलिखित आधारों पर सामग्री का वर्गीकरण करें, अर्थात्– (i) विषय-वस्तु एवं संदेश; (ii) हिंसा; (iii) नग्नता; (iv) यौन सामग्री; (v) भाषा; (vi) मादक पदार्थों एवं अन्य नशीले पदार्थों का दुरुपयोग; तथा (vii) हॉरर।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की अनुसूची के भाग-II में सामग्री के वर्गीकरण के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 'मनोप्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान एवं तंबाकू तथा अनुकरणीय व्यवहार' से संबंधित सामग्री भी शामिल है।

आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटान एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुसार निपटान हेतु संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अग्रेषित किया जाता है।

सरकार ने दिनांक 26.11.2024 को ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए स्वापक औषधियों एवं मनोप्रभावी पदार्थों से संबंधित सामग्री के स्ट्रीमिंग के संबंध में एक परामर्श जारी किया था।
